बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

सं0सं0- (मो0) 2-वीरपुर-02/2011 पटना, दिनांक

आदेश

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, वीरपुर के अधीन पूर्वी कोशी नहर पुनर्स्थापन कार्य हेतु मेसर्स आई0भी0आर0सी0एल, हैदराबाद के साथ एकरारनामा संख्या- 05 एस0बी0डी0/2009-10 सम्पन्न किया गया, जिसकी राशि 322.90 करोड़ रूपये थी । एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्त करने की तिथि- 31.03.2012 थी । निर्धारित तिथि के भीतर कार्य की समानुपातिक प्रगति नहीं लाने के कारण संवेदक को विभागीय आदेश ज्ञापांक- 1748 दिनांक- 30.09.11 के द्वारा डिफाल्टर घोषित करते हुए अगली निविदा में भाग लेने से वंचित कर दिया गया । उक्त आदेश के विरूद्ध संवेदक द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या- 97/2012 माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर किया गया, जिसे दिनांक- 10.01.13 के न्याय निर्णय में संवेदक को डिफाल्टर घोषित करने संबंधी आदेश को निरस्त कर दिया गया । उक्त न्याय निर्णय के क्रम में विभाग द्वारा दायर एल0पी0ए0 संख्या- 1313/2014 को भी माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक- 12.12.14 को निरस्त कर दिया गया है । उक्त एल0पी0ए0 के न्याय निर्णय के आलोक में संवेदक द्वारा डिफाल्टर संबंधी आदेश को निरस्त करने हेतु अभ्यावेदन दिया गया है । संवेदक से प्राप्त अभ्यावेदन के क्रम में विभागीय पत्रांक- 499 दिनांक- 16.04.15 के द्वारा मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, वीरपुर से वस्तुस्थिति की सूचना मॉगी गई । मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, वीरपुर के पत्रांक- 1461 दिनांक- 09.05.2015 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि शीर्ष कार्य प्रमण्डल , वीरपुर के अधीन कौशिकी भवन के कार्य को छोड़कर पूर्वी कोशी नहर पुनर्स्थापन योजना का शेष कार्य संवेदक द्वारा दिये गए शपथपत्र के अनुसार पूर्ण किया जा चुका है एवं कौशिकी भवन का कार्य भी अंतिम चरण में है तथा इसकी भौतिक प्रगति-88 प्रतिशत है । एवं इसे दिसम्बर 2015 तक पूर्ण कर लेना है ।

अतः मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, वीरपुर से प्राप्त उक्त पत्र में कृत अनुशंसा के आलोक में संवेदक आई0भी0आर0सी0एल0 इन्फ्रा स्ट्रक्चर एण्ड प्रोजेक्ट लि0, हैदराबाद को विभागीय आदेश ज्ञापांक- 1748 दिनांक- 30.09.11 द्वारा घोषित डिफाल्टर संबंधी आदेश को निरस्त करते हुए डिबार से मुक्त किया जाता है ।

ह0/-
(राम पुकार रंजन)
अभियंता प्रमुख (मध्य) ।

ज्ञापांक- पटना, दिनांक-

निबंधित

प्रतिलिपि- आई0भी0आर0सी0एल0, एम0- 22/3 आर0टी0, विजयनगर कोलॉनी, हैदराबाद- 500057 (आन्ध्रप्रदेश) को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह0/-
(राम पुकार रंजन)
अभियंता प्रमुख (मध्य) ।

कृ0पृ0उ0

TSP/06-15/Sec-11

ज्ञापांक- पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव/ सचिव, पथ निर्माण विभाग/ भवन निर्माण विभाग/ ग्रामीण कार्य विभाग/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/ भवन निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ तकनीकि परीक्षक कोषांग/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पटना को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-
(राम पुकार रंजन)
अभियंता प्रमुख (मध्य) ।

ज्ञापांक- पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- सभी मुख्य अभियंता/ अधीक्षण अभियंता/ कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग/ निदेशक (मुख्य अभियंता) वाल्मी, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य निर्माण निगम, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-11, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-
(राम पुकार रंजन)
अभियंता प्रमुख (मध्य) ।

ज्ञापांक- 1151 पटना, दिनांक- 20.6.15

प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, जल संसाधन विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(राम पुकार रंजन)
अभियंता प्रमुख (मध्य) ।
18/6/15

6